न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
सत्र वाद संख्या–471/25
{लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या–169/20 से उत्पन्न}

राज्य सरकार वनाम मुकेश यादव उर्फ भूपल यादव उर्फ मुकेश यादव

उपस्थित – कमला प्रसाद
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

आदेश

11.02.2026 1– वाद के कारांबदी अभियुक्त मुकेश यादव उर्फ भूपल यादव को कारा से प्रस्तुत किया गया तथा पुनः कारा भेजा गया। ए0पी0पी0 की हाजरी है।

2– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 22.01.2026 को एक आवेदन दाखिल कर कथन किया है कि विद्वान श्रीमति भाविका सिन्हा, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम् श्रेणी के द्वारा आरोपित धाराओं 447, 147, 148, 149, 323, 324, 307, 504, 506, 188, 169, 270 भा0द0वि0 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है। इस वाद में विद्वान न्यायालय द्वारा 188, 169, 270 भा0द0वि0 के अन्तर्गत भी संज्ञान लिया गया है किन्तु सूचक के फर्दब्यान में इन धाराओं के अन्तर्गत कोई भी अपराध का वर्णन नहीं किया गया है इसलिए इन धाराओं में अभियुक्त को आरोप से मुक्त करने का प्रार्थना करते है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप बेबुनियाद है तथा अनुसंधानक द्वारा स्वतंत्र साक्षी का सक्ष्य नहीं लिया गया है। दोनों पक्ष आपस में गोतिया है तथा किसी भी साक्षी ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोप नहीं लगाया है। सूचक मिथलेश यादव का फर्दब्यान में कथन है कि अभियुक्त चंदन यादव अपने कमरे से पिस्तौल निकाले और मुकेश यादव के सीना में गोली मार दिये इसी क्रम में उसके पिता संतोषी यादव उसके भाई मिथलेश यादव हल्ला करने लगा तो तपेश्वर यादव हाथ में तलवार लिये मिथलेश यादव के सर पर मार दिया, तथा सूचक के पिता संतोषी यादव को हाथ में मार दिया, जिससे उसका दोनों हाथ कट गया और उसका चचेरा भाई आनन्दी यादव के बॉह में बालेश्वर यादव गोली मार दिये, चारों व्यक्ति घटनास्थल पर गिर गया। दोनों पक्षों के बीच जमीनी विवाद है जिस कारण सूचक ने सभी अभियुक्तों पर मुकदमा किया है। आवेदक अभियुक्त लम्बे दिनों से काराधीन है।

3– अभियोजक की ओर से दिनांक–11.02.2026 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। इसकी प्रति अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार मंडल को को प्राप्त करायी गई है। अभियोजन की ओर प्रतिउत्तर आवेदन में कथन किया गया है कि अभियुक्त की ओर से दिनांक 22.01.2026 को 227 द0प्र0सं0/धारा 250 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत आवेदन दाखिल किया गया है, कि प्रस्तुत वाद में अन्तर्गत धारा 188, 269 एवं 270 बी0एन0एस0एस0 का कोई भी आरोप अभियुक्त के विरूद्ध नहीं बनता है। शेष धारा 447, 147, 148, 149, 323, 324, 307, 504, 506 भा0द0वि0 एवं 27 शस्त्र अधिनियम

लगातार.....

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
सत्र वाद संख्या–471/25
{लक्ष्मीपुर थाना कांड संख्या–169/20 से उत्पन्न}

राज्य सरकार वनाम मुकेश यादव उर्फ भूपल यादव उर्फ मुकेश यादव

उपस्थित – कमला प्रसाद
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

11.02.2026 के अन्तर्गत आरोप बनता है। इस सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कहना है कि धारा 188 भा0द0वि0 लोक सेवक द्वारा विविध आदेश का उल्लंघन करना एवं धारा 269 भा0द0वि0 में है कि संक्रामक बीमारी फैलाना धारा 270 का भी इसी से सम्बन्धित है। अतः अभियोजन का कथन है कि वास्तव में उक्त धाराओं का कोई आरोप प्राथमिकी में दर्ज नहीं है। उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में उचित आदेश पारित करने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि इस वाद में आवेदकगण के विरूद्ध न्यायालय के आदेश दिनांक 20.08.2025 द्वारा धारा 447, 147, 148, 149, 323, 324, 307, 504, 506, 188, 169, 270 भा0द0वि0 तथा धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है तथा आरोपपत्र में भी यही धारा है। इस वाद के प्राथमिकी फर्दबयान तथा वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथमिकी के फर्दबयान तथा वाद दैनिकी में धारा 188, 269, 270 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप से सम्बन्धित कोई भी तथ्य या परिस्थितियां अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

अतः इन धाराओं 188, 269, 270 भा0द0वि0 में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप गठन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है तथा वाद दैनिकी एवं अभिलेख में धारा 147, 447, 149, 323, 324, 304, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत आरोप गठन हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य अभिलेख एवं वाद दैनिकी में उपलब्ध है। अतः इन धाराओं में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप गठन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार आवेदक अभियुक्तगण का आवेदन दिनांक 22.01.2026 को आंशिक रूप से स्वीकृत किया जाता है। दिनांक ..... को सभी अभियुक्तगण न्यायालय में सदेह आरोप गठन हेतु उपस्थित रहें।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई